न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.–94 / 2019

दिनांक– 14/11/19

सरकार बनाम भवानी सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617 / 2.72है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.005है0 पर भवानी सिंह पुत्र सांवतसिह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवतएल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आया । तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर – सायल ने अपने जबाब मे कथन किया है कि उक्त आराजीयात पर हमारा पुशतैनी कब्जा चला आ रहा है मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण उक्त आराजीयात पर किया जाना बखूबी साबित होता है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल भवानी सिह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617 / 2.72है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0. 005है0पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः भवानी सिह पुत्र सांवत सिह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0न0617 / 2.72है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.005 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात की गई जोत को हटाया जा

कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.15का पचास गुणा 8रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी ,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2019-20 के मा० मं० के पृष्ठ संख्या 52 पर 8 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली